भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *190

जिसका उत्तर 12.02.2026 को दिया जाना है

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के निर्माण में सुरक्षा संबंधी खामियां

*190. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के निर्माण और उसे चौड़ा किए जाने से संबंधित चल रहे कार्यों के दौरान 15-01-2026 तक हुई सभी दुर्घटनाओं और घातक दुर्घटनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त दुर्घटनाओं में यात्रियों/सड़क प्रयोक्ताओं और निर्माण श्रमिकों के पृथक ब्यौरे सहित कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं;

(ग) उन सड़क खंडों, जहां ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, के निर्माण में शामिल कंपनियों, रियायतग्राहियों और उप-ठेकेदारों के नाम क्या हैं;

(घ) इन घटनाओं के संबंध में की गई सुरक्षा संपरीक्षा अथवा जांच के क्या निष्कर्ष रहे हैं और उनमें कौन-कौन सी खामियों की पहचान की गई है;

(ङ) ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध लगाए गए जुर्माने, ठेकों को समाप्त करने या काली सूची में डालने सहित क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के निर्माण में सुरक्षा उपायों, यातायात प्रबंधन और कामगारों की सुरक्षा को कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

'केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के निर्माण में सुरक्षा संबंधी खामियां' के संबंध में श्री कोडिकुन्नील सुरेश के द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 190 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-66 पर चल रही परियोजनाओं के निर्माण स्थलों पर हुई दुर्घटनाओं, हादसों और घातकताओं का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक पर संलग्न है। सड़क सुरक्षा संपरीक्षा (ऑडिट) में मुख्य रूप से समग्र यातायात प्रबंधन, कार्य क्षेत्र सुरक्षा और निर्माण सुरक्षा उपाय, यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग, साइनेज, डायवर्जन कार्यान्वयन, सड़क की सतह की स्थिति, असुरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं की संरक्षा, श्रमिक सुरक्षा पद्धतियों और रात्रि दृश्यता के क्षेत्रों में अनुपालन न करने से संबंधित चूक पाई गई हैं।

'केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के निर्माण में सुरक्षा संबंधी खामियां' के संबंध में श्री कोडिकुन्नील सुरेश के द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 190 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

	एनएच-66 के चल रहे निर्माण और चौड़ीकरण कार्यों के दौरान रिपोर्ट की गई सभी दुर्घटनाओं, हादसों और घातक घटनाओं का विवरण							
क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**रियायतग्राही/ उप-संविदाकार**	**ज़िला**	**एनएच 66 के चौड़ीकरण कार्यों के दौरान हुई दुर्घटनाओं/हादसों का विवरण**	**घटना की तिथि**	**निर्माण श्रमिक की मृत्यु का विवरण**	**निर्माण कार्य के कारण यात्रियों/ सड़क प्रयोक्ताओं की मौतें**	**रियायतग्राही/संविदाकार के खिलाफ की गई कार्रवाई की स्थिति और जुर्माना यदि कोई हो तो उसका विवरण**
1	थलप्पडी-चेंगला को 6 लेन का बनाना	मैसर्स यूएलसीसीएस	कासरगोड	भारी बारिश के कारण फ्लाईओवर पी23-पी24 पर अस्थायी रूप से कार्य बंद होने के दौरान, एक कर्मचारी बिना किसी निर्देश या पर्यवेक्षण के स्टेजिंग एरिया में चला गया और स्टेज से उतरते समय फिसल गया। उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में कन्नूर के एमआईएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।	**23.07.2023**	**1**	**0**	कर्मचारी प्रतिकर नीति के अनुसार रियायतग्राही की बीमा योजना के माध्यम से तत्काल व्यय और मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
				एटीएमएस लगाने के कार्य में दो मजदूर लगे हुए थे। दुर्घटना के समय ये दोनों कर्मचारी पिकअप वैन के समीप सड़क किनारे खड़े	**15.07.2025**	**2**	**0**	कर्मचारी प्रतिकर नीति के अनुसार रियायतग्राही की बीमा योजना के

				थे। मंगलपुरम की ओर जा रहे एक ट्रक ने तेज गति और नियंत्रण खोने के कारण वहां खड़ी पिकअप वैन को अचानक टक्कर मार दी, जिससे इन दोनों मजदूरों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ।				माध्यम से तत्काल व्यय और मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
2	चेंगला-नीलेश्वरम को 6 लेन का बनाना	मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग		शटरिंग का काम करते समय सुरक्षा हार्नेस को ठीक से न बांध पाने के कारण एक मजदूर लगभग 6 मीटर की ऊंचाई से गिर गया, जिससे रैंप पर एक घातक दुर्घटना हो हुई।	**20.09.2025**	**1**	**0**	कर्मचारी प्रतिकर नीति के अनुसार रियायतग्राही की बीमा योजना के माध्यम से 16,01,000 रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।
3	नीलेश्वरम-थालिप्परम्बा को 6 लेन का बनाना	मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग		निर्माण स्थल पर स्टील उतारते समय एक घातक दुर्घटना में एक निर्माण कार्य श्रमिक की मृत्यु हो गई।	29.06.2022	1	**0**	कर्मचारी प्रतिकर नीति के अनुसार रियायतग्राही की बीमा योजना के माध्यम से 16,38,525 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है।

				कार्य क्षेत्र के पास मिट्टी धंसने के कारण किमी 98+750 (बाएं ओर) पर एक घातक दुर्घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक मजदूर की मृत्यु हो गई।	12.05.2025	1	**0**	कर्मचारी प्रतिकर नीति के अनुसार रियायतग्राही की बीमा योजना के माध्यम से 13,93,600 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है।
	थालिप्परम्बा-मुझापिलांगडु को 6 लेन का बनाना	मैसर्स विश्व समुद्र	कन्नूर	एक मजदूर के कार्य के दौरान मिट्टी खोदने वाले उपकरणों के निकट संपर्क में आने से घातक दुर्घटना हो गई।	21.08.2023	1	**0**	कर्मचारी प्रतिकर नीति के अनुसार रियायतग्राही की बीमा योजना के माध्यम से 20,97,850 रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।
4				स्ट्रीटलाइट लगाने के कार्य के दौरान चैनेज 164+540 (एमसीडब्ल्यू आरएचएस) पर एक दुर्घटना घटी जब एक अनियंत्रित आइशर ट्रक ने बैरिकेड वाले कार्य क्षेत्र में प्रवेश किया और एक मजदूर को टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई।	25.03.2025	1	**0**	कर्मचारी मुआवजा नीति के अनुसार रियायतकर्ता की बीमा योजना के माध्यम से 34,42,036 रुपये (16,42,260+17

				चैनेज 157+110 (एलएचएस) में राफ्ट फिनिशिंग के कार्य के दौरान एक दुर्घटना घटी जब कटी हुई मिट्टी की दीवार का एक हिस्सा ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप एक मजदूर की मृत्यु हो गई।	24.05.2025	1	**0**	,99,776) की राशि का मुआवजा दिया गया है।
5	अझियूर-वेंगलम को 6 लेन का बनाना	मैसर्स अदानी	कोझिकोड	सड़क की मरम्मत/रखरखाव के लिए बोरो एरिया (बोरो एरिया से मिट्टी के परिवहन के दौरान मिट्टी का रिसाव हुआ था) में गया रोलर ऑपरेटर ढलान पर नीचे जाते समय अपना नियंत्रण खो बैठा और रोलर्स के बीच फंस गया, जिसके कारण ऑपरेटर की मृत्यु हो गई।	08.03.2024	1	**0**	बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
6	कप्पिरिक्कड़-थलिककुलम को 6 लेन का बनाना	मैसर्स शिवालया कंस्ट्रक्शंस	त्रिशूर	शटरिंग का कार्य खत्म करने के बाद नीचे उतरते समय एक मजदूर लगभग 5 मीटर की ऊंचाई से वीयूपी पिलर से गिर गया, जिससे एक घातक दुर्घटना हुई।	19.12.2013	1	**0**	बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
7	थालिककुलम-कोडुंगल्लूर का 6 लीटर	मैसर्स शिवालया कंस्ट्रक्शंस		डब्ल्यूएमएम संयंत्र के कन्वेयर बेल्ट की सफाई के दौरान एक भीषण दुर्घटना में एक मजदूर की मृत्यु हो गई।	23.12.2023	1	**0**	बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया

								चल रही है।
				कैम्प साइट यार्ड 377+240 में स्टील उतारते समय एक घातक दुर्घटना में एक मजदूर की मृत्यु हो गई।	06.04.2024	1	**0**	बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
8	एलिवेटेड हाईवे अरूर-थुरवूर को 6-लेन का बनाना	मैसर्स अशोका बिल्डकॉन	अलाप्पुझा	एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ करते समय हाइड्रा क्रेन एक मजदूर से टकरा गई।	28.12.2023	1	**0**	कर्मचारी प्रतिकर नीति के अनुसार रियायतकर्ता की बीमा योजना के माध्यम से ₹16,38,525/- की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।
				शटर हटाते समय शटरिंग शीट मजदूर पर गिर गई।	23.03.2024	1	**0**	कर्मचारी प्रतिकर नीति के अनुसार रियायतकर्ता की बीमा योजना के माध्यम से ₹15,84,400/- और ₹14,92,950/- की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।
				निर्माण कार्य के दौरान एक निर्माण कार्य मजदूर डेक स्लैब से गिर गया।	16.04.2024	1	**0**	

				बेस कैंप में पानी की टंकी भरते समय बिजली संबंधी हादसा हो गया।	20.10.2025	1	**0**	दो मुआवजा नीतियां, जिनमें मृत्यु बीमा मुआवजा वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं।
				पीएससी गर्डर यात्री पर गिर गया।	13.11.2025	0	**1**	
9	कोट्टुकुलंगरा का 6एल-कोल्लम बाईपास की शुरुआत	मेसर्स विश्व समुद्र	कोल्लम	यह घटना शक्तिकुलागारा में बिजली लाइन के कार्य के दौरान घटी। विद्युत उप-संविदाकार के अनुसार, केएसईबी पर्यवेक्षक से शटडाउन की पुष्टि मिलने के बाद मजदूर बिजली के खंभे पर चढ़ गया। दुर्भाग्यवश, लाइन पर कार्य करते समय मजदूर को बिजली का झटका लगा और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।	22.07.2024	1	**0**	कर्मचारी प्रतिकर नीति के तहत 16,49,625 रुपये की राशि का आदेश जारी किया गया है और भुगतान प्रक्रिया जारी है।
				यह दुर्घटना सुरक्षाकर्मियों द्वारा नियमित गश्त के दौरान घटी। संयोगवश, गर्डर के ऊपर से एक हल्के स्टील का चैनल फिसलकर श्री विनोद सिंह के सिर पर गिर गया, जिससे वे बेहोश हो गए। उनके साथी कर्मचारी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए; तथापि, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।	21.07.2025	1	**0**	एक मामले में 12,23,025 रुपये की राशि के लिए कर्मचारी मुआवजा नीति (डब्ल्यूसीपी) आदेश जारी किया गया है और भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

				यह घटना, कार्य समय के दौरान घटी जब मजदूर वैकल्पिक (डायवर्जन) सड़क पर चल रहा था। एक ट्रक ने गलती से उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।	25.10.2025	1	**0**	दूसरे मामले में डब्ल्यूसीपी आदेश प्रतीक्षित है।
10	कोल्लम बाईपास-कदमबत्तुकोणम के प्रारंभण को 6 लेन का बनाना	मैसर्स शिवालया कंस्ट्रक्शंस	कोल्लम	रात के समय मिट्टी डालने और समतल करने के कार्यों के दौरान, श्री एमडी. जोब्रेयल, जो पिछले पांच माह से सहायक के रूप में कार्यरत थे, को मिट्टी उतारने में मार्गदर्शन देने हेतु तैनात किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अगले वाहन की प्रतीक्षा करते समय, डंपर द्वारा मिट्टी डालने के दौरान वे मिट्टी के ढेर के नीचे दब गए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई।	11.11.2025	1	**0**	कर्मचारी प्रतिकर नीति के अनुसार रियायतग्राही की बीमा योजना के माध्यम से 10,00,000 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।
				शिवालया कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के दो मजदूर सर्विस रोड पर प्रबलित मिट्टी (आरई) की दीवार की मरम्मत का कार्य कर रहे थे। विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही हुंडई आई10 कार ने ओवरटेक करते समय एक मजदूर को टक्कर मार दी।	03.02.2025	1	**0**	बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है।

				परिणामस्वरूप, मजदूर को सिर और टांग में गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई।				
					कुल	**22**	**1**	
